समाचार-प्रकाशनार्थ:-

वार्ड 8 व 19 भी आज से बनेगे 0 वेस्ट वार्ड वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने कार्य रहा सफल स्व सहायता समूह की महिलाओं को मला रोजगार

रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के प्रथम चरण में वार्ड 7 व 17 में 04 मार्च को कार्य प्रारंभ कया गया जो क नागरिकों के सहयोग से 100 प्रतिशत सफल रहा इसी सफलता को देखते हुए 5 मार्च शुक्रवार को वार्ड 8 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य प्रारंभ कया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्डो की स्वच्छता हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर वार्ड में स्वच्छता संबंधी कार्यए कचरा संग्रहण वाहन आदि की जानकारी ली। इसके अलावा बैठक में बताया गया क वार्ड क्रमांक ७ व १७ को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ कया गया जो क १०० प्रतिशत सफल रहा। वार्डो के प्रत्येक घरो से गीले एवं सूखे कचरे को दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पृथक पृथक लया गया जिसमें नागरिकों ने उत्साह से सहयोग कया।

नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 7 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने हेतु वार्डी में दो कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के भेजे गये जहां पर स्व सहायता समूह की मिहलाओं द्वारा घर-घर जाकर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लेकर निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया तथा एक स्थान पर ले जाकर मिहलाओं द्वारा सूखा कचरा निकालकर गीला कचरा जुलवानिया टे े िचंग ग्राउण्ड भेजा गया। मिहलाओं द्वारा सूखे कचरे से प्लास्टिकए पॉलीथीनए बॉटल सिहत अन्य सामग्री पृथक कर कबाड़ी को वक्रय की गई जिसका कबाड़ी द्वारा वजन कया जाकर तय मान से दुर्गा स्व सहायता समूह की मिहलाएं पुन्जीबाईए सुरजबाईए धापुबाईए बबलीबाईए जीवनबाई को रा श प्रदान की।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने हेतु वार्डो में दो कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के भेजे गये जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लेकर निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया तथा एक स्थान पर ले जाकर महिलाओं द्वारा सूखा कचरा निकालकर गीला कचरा जुलवानिया टे ं चंग ग्राउण्ड भेजा गया। ईश्वर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सूखे कचरे से प्लास्टिकए पॉलीथीनए बॉटल सहित अन्य सामग्री पृथक कर कबाड़ी को वक्रय हेतु वजन कराया गया जिसका भुगतान कबाड़ी द्वारा कल कया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में स्धार होगा।

वार्ड क्रमांक 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड ओर शा मल कये जिसके तहत वार्ड 8 व 19 में 05 मार्च शुक्रवार से कार्य प्रारंभ कया गया है जिसमें स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को काम मलने के साथ वार्ड जीरो वेस्ट होकर स्वच्छ व सुन्दर बनेंगे।

वार्ड 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु पूर्व क्षेत्रिय पार्षद श्री प्रहलाद पटेल व श्रीमती अनिता कटारा ने भी घर-घर जाकर कचरा पृथक्कीकरण हेतू नागरिकों को समझाईश दी जिस पर नागरिकों ने उत्साह

दिखाया व 100 प्रतिशत घरों से गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कया जा सका।

उक्त वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए इंजीनियर श्री राजेश पाटीदारए श्री मनीष तिवारीए स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संहए वार्ड पर्यवेक्षकए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए दरोगाए आईईसी टीम के सदस्यए दुर्गा एवं ईश्वर स्व सहायता समूह की 5.5 महिलाएं उपस्थित थी।

वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में स्वच्छता कन्सलटेंट श्री प्रतीक मश्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य अधकारीए वार्ड के इंजीनियरए वार्ड दरोगाए आईईसी टीम व स्वच्छता दीदी कार्य करेंगी जिससे क कचरा उत्पादन स्थल पर कचरे का निष्पादन कया जा सके।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क नगर को गारबेज फ्री सटी बनाने के लये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका वशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना कये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्दे शत कया क सभी सड़कों की स्वी पंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वी पंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोंलकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए सहायक यंत्री श्री एम.के. जैनए निगम स चव श्री जसवन्त जोशीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं इतए बी.एल. चौधरीए अनवर कुरेशीए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए मनीष तिवारीए ब्रजेश कुशवाहए दीक्षा निजामपुरकरए सद्धार्थ सोनीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए श्री बी.एल. चावरेए झोन प्रभारी श्री

करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए श्री अनील पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए दरोगा आदि उपस्थित रहे।

क वताएगायन और भाषण के माध्यम से बताया स्वच्छता का महत्व स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शैरानीपुरा (हरिजनबस्ती) में जागरकता कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय नागरिकों वशेषकर बच्चों ने लया बढ़चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 04 मार्च। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने के प्रयासों के चलते आज नगर निगम पा लक की और स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कया गया। जिसमें कशोरी बा लकाओं और महिलाओं ने क वताए गायन और भाषण के माध्यम से उम्दा तरीके से स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहां क अगर हम अपने शहर से प्यार करते है तो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश उपायुक्त श्री वकास सोंलकी के मार्गदर्शन में शहर के शैरानीपुरा (हरिजन बस्ती) मांग लक भवन में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम स्वास्थ्य अधकारी एपी संहए प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी एमके जैन और महिला एवं बाल वकास वभाग की प्रभारी परियोजना अधकारी सुश्री उषा लम्बोदिया की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर भाषणए गायनए मेंहदीए चत्रकलाए भाषणए रांगोली सहित आधा दर्जन स्पर्धाओं का आयोजन कया गया। इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण श वर में डाँ.शहनाज सैय्यदए डाँ. पंकी बोरीवालए डाँ.नेहा संह ने अपनी सेवाएं दी।

कार्यक्रम को संबोधत करते हुए प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री एमके जैन ने संबोधत करते हुए कहां क स्वच्छता का सही अर्थ है क हम अपने शरीरए मन और अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखेंए क्यों क स्वच्छता जीवन के लए काफी लाभदायक हैए स्वच्छ रहने से लोग बीमार नहीं होंगे तथा स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे। तन-मन व अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का बच्चों और महिलाओं से कया। नगर

निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तमाम प्रयास कर रहा हैए ऐसे में नागरिक भी अपना दायित्व निभाते हुए शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती ल लता घोसर ने कया और आभार श्रीमती परवीन खान ने माना।

गायनए भाषण और क वता से दिया स्वच्छता का संदेश

सैकड़ों क्षेत्रीय रहवा सयों वशेषकर बच्चों की मौजूदगी में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा देखते ही बनती थी। इन्होने यहां भाषणए क वता और गायन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व यहां मौजूद महिला और पुरुषों को बताया और खूब दाद भी बटोरी। यहां निकाली गई स्वच्छता जागरुकता रैली में भी बच्चों ने स्वच्छ रतलाम-सुंदर रतलाम के नारे लगाए।

पुरुस्कार पाकर खल उठे चेहरे

कार्यक्रम के दौरान आयोजित रांगोली स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लए कु.धराएनंदनीए खुशी और रीदा को पुरुस्कृत कया गया। इसी तरह चत्रकला में सुहानाए अलीशा माजिदए अलीशा मुज्जफर और निशांत कोए मेंहदी प्रतियो गता मेें गो सयाए खुशनुमाए मोब सराए प्रीतीए माहीए फाल्गुनीए इफ्कत को पुरुस्कृत कया गया। निंबध प्रतियो गता के लए साई कुमारए यश कुमारए नबीलाए रा शए भव्य सोंलकी और शखा को पुरुस्कृत कया गया।

20 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 8 कलो पॉलीथीन जब्त 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधत उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड रतलाम 04 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत वपूलए नितिनए अलकापुरीए दीपक बेकरी कस्तुरबा नगरए पर 250.250ए गोपाल व दो अन्य कस्तुरबा नगरए प्रवीणए रोहितए महलवाड़ाए राजेष नगर निगम तिराहाए सुभाश कालेज रोडए षुभम्ए पार्वतीबाईए दिनेषए बग्दी पर 100.100ए कान्हा जाट व चार अन्य पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 9 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अभयान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 52 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 04 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 04 मार्च गरूवार को बिना सूचना के 52 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी कया गया।

वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के व भन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने-अपने वार्डो में प्रतिदिन भ्रमण करें

प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें

रतलाम 04 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने-अपने वार्डो में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कया जाकर प्रतिदिन के पर्यक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप मंे दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने वार्ड में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत वेनोबा नगर सरस्वती माता मंदिर उद्यानए ईष्वर नगरए इंदिरा नगरए वनोबा नगर मुक्तिधाम के पीछेए वार्ड क्रमांक 4 की ना लयांए वार्ड क्रमांक 33 कार गल उद्यानए वार्ड 47 सुलभ काम्पलेक्स के सामनेए ग्लोबस टाउन षपए दीनदयाल नगरए आईटीआई के आसपासए इन्द्रलोक नगरए गोकुलधाम कालोनीए बाजना बस स्टैण्ड व काषीनाथ के नोहरे में सफाई का कार्य करवाया गया। इसके अलावा इंदिरा नगर सांई मंदिर उद्यान व इन्द्रलोक नगर उद्यान में कम्पोस्ट पीट लगवाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्दे षत कया क वे अपने-अपने वार्डो में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाईए वषेश रूप से सड़कोए ना लयों की सफाईए उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवानाए सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेष देने वाली वॉल पेंटिंग करवानाए सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवानाए वार्डों में उ चत दूरी पर इस्टबीन रखवानाए कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करनाए कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करनाए पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टे चंग ग्राउण्ड पर पंहूचानाए वार्डों में आईईसी गति व धयां संचा लत कर नागरिकों को स्वच्छता के लए प्रेरित करनाए कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टे कंग करवानाए थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जै वक खाद निर्माण करवानाए नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग कये जाने हेतु प्रेरित कये जाने के साथ ही अपने-अपने वार्डों चिन्हत बेस्ट पाईट वषेश सफाईए स्वच्छता संदेष की वॉल पेंटिगए सौन्दर्यीकरण आदि कार्य करवाये जाने के निर्देष दिये।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करे व स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य मंे गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षेक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

प्रताप नगर उद्यान के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 45ए21ए144६ संपत्तिकर व 9ए88ए130६ जलकर जमा कराया रतलाम 04 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे। आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबंधत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया राष जमा करा सकेगें। निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर १ए10ए000६ व जलकर ६ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर १ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर में संपत्तिकर १ए10ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा

नगर ष वर में संपत्तिकर १ए२९ए०००६ व जलकर ४३ए६७०६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर १ए२२०००६ व जलकर २९ए२८०६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर ७७ए०००६ व जलकर १९ए८५०६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर १ए२७ए००६ व जलकर ४८७२२०६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर १ए१२ए०००६ व जलकर १४ए०००६ए कस्त्रबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए४७ए०००६ व जलकर 86ए५४०६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर १ए०२ए०००६ व जलकर ३ए७६ए९०५६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर १ए८२ए५००६ व जलकर ७६ए४७०६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर १ए१७७००६ व जलकर २२ए६८०६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर १ए०१ए६४४६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए७६ए०००६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए७१ए०२५६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर ७१ए०००६ व जलकर १९ए०००६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए०००६ व जलकर 64ए78०६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर ४ए९२ए०००६ व जलकर ६६ए७११५६ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर १ए६०ए०००६ व जलकर ३४ए३४०६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर २ए३०ए०००६ व जलकर ४४ए२३०६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर २ए०७ए०००६ व जलकर ३३ए९४०६ए जूनि कोर्ट करण टॉ कज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे संपत्तिकर 86ए०००६ व जलकर 35ए14०६ की राष जमा कराई। इस तरह नागरिकांें ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 45ए21ए144६ संपत्तिकर व १९८८ पाउँ । १९८८ चाउँ विकास कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक

चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 04 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें। स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 709 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभयान चलाया गया तथा 04 मार्च तक शहर के वभन्न क्षेत्रों से 709 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की वभन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभयान के तहत 04 मार्च गुरूवार को चौमुखी पुल व दीनदयाल नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजिनक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमित के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500% वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री ए०पी० संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त 133 दिनों में 160 वॉल्व व 895 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 04 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 04 मार्च तक 159 वॉल्व व 884 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

' 'रतलाम जलशक्ति अभयान' ' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 04 मार्च गुरूवार को जवाहर नगर सी कालोनीए राम मंदिर के सामनेए तेजा नगरए सखवाल नगर पाटिल स्क्रीन के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाये जाने के साथ टैंकर रोड पर वॉल्व लीकेज दुरस्त करवाया गया इसके अलावा दीनदयाल नगर टंकी के समम्पवेल के मोटर पम्प का रबर बदला गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 04 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेत् स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक मेयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 04 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पित्तयांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा में डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार क्रा.सं. व. हेमन्त ⁄04ण3ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.